छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010
(फाल्गुन-17, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने स्व. श्री भैयाराम खूंटे, अविभाजित म.प्र.विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

श्री रामविचार नेताम-विधि मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नंदकुमार पटेल तथा श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

(दिवंगत के सम्मान में 11.10 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होकर 11.16 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

2. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि-आज राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर राष्ट्रकुल के सदस्य देश, प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को राष्ट्रकुल दिवस के रूप में मनाते हैं।

तद्नुसार आज सोमवार, दिनांक 8 मार्च, राष्ट्रकुल दिवस है। इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने **विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज** को वर्ष 2010 का आधार बनाया है।

आज का समाज जीवन स्तर में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और उसके इस प्रयास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नित नये प्रयोग, शोध एवं अभिनव खोज की इस प्रवृत्ति से जीवन स्तर में अभिवृद्धि के अधिक अवसर उपलब्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए दूरसंचार को ही लें, जहां समय एवं भौगोलिक गतिरोधों में चमत्कारिक कमी आई है। विश्व के किसी भी भू-भाग में स्थित व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से तत्क्षण जीवंत संपर्क में बना रह सकता है। वह चाहे एशिया के हिमालय पर्वत पर स्थित चिकित्सा केन्द्र हो, पैसिफिक आइलैण्ड का कोई विद्यालय हो, दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान की सुविधा हो और यहां तक कि इस ग्रह से परे अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्द्र हो।

दूरसंचार की नवीन पद्धति से राष्ट्रकुल के विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक प्रगति की छाप स्पष्ट परिलक्षित है, जिसने लघु व्यवसाय को मध्यम व्यवसाय में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। वैश्विक बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में और उसे पल्लवित एवं पोषित करने में इन्टरनेट यद्यपि एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है तथापि आज भी हमारे राष्ट्रकुल के सामान्य नागरिक इन सब सुविधाओं से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो सके है।

संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्यरक्षण, निर्माण एवं शिक्षा के क्षेत्र में अर्जित प्रगति से व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार अवश्य हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, राष्ट्रकुल ने सदस्य राष्ट्रों में परस्पर सहयोग, संयुक्त, समन्वित प्रयास के माध्यम से विश्वव्यापी रोगों, बीमारियों पर प्रभावी रोकथाम की दिशा में सफलताएं प्राप्त की हैं।

राष्ट्रकुल सदैव नवीनता के उस स्वरूप का पक्षधर रहा है, जो लोगों को परस्पर भागीदारी द्वारा एकजुट कर विश्व को एक सुसंगठित, बेहतर समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो।

विशेष कर राष्ट्रकुल के वे 50 प्रतिशत से अधिक नागरिक, जो 25 वर्ष से कम आयुवर्ग के हैं, उनके संदर्भ में यह और भी अधिक प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। सदस्य देशों में विद्यमान इस युवा शक्ति की असाधारण, असीमित ऊर्जा एवं वैज्ञानिक कुशलता को शिक्षा एवं सामाजिक विकास के माध्यम से पोषित करना अत्यन्त आवश्यक है। वस्तुतः राष्ट्रकुल का उद्देश्य भी यही है कि ऐसी युवा शक्ति को निरंतर प्रोत्साहित एवं पोषित किया जाए ताकि वे हमारे सामने विद्यमान नवीन, आकर्षक अवसरों का सामयिक लाभ उठाने में सहभागी बन सकें तथा समझ सकें कि सहिष्णुता एवं सहभागिता से अर्जित प्रगति ही वास्तविक प्रगति है।

इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं ।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 14 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 9 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रामजी भारती, सदस्य ने उप वनमंडल डोंगरगढ़ में कीमती लकड़ियों की अवैध कटाई तथा परिवहन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने सिम्स में अध्ययनरत् छात्रों के दो गुटों में मारपीट की घटना होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास

(2) श्री नारायण चंदेल

(3) श्री सौरभ सिंह

(4) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

(5) श्री भोलाराम साहू

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईः-

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

(2) श्री सौरभ सिंह

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

7. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय लोक निर्माण मंत्री के विभागों की मांगों पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
सर्वश्री नारायण चंदेल, महंत रामसुंदर दास, वीरेन्द्र कुमार साहू, परेश बागबाहरा,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री दीपक कुमार पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवजी पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सेवकराम नेताम, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, रविशंकर त्रिपाठी, सौरभ सिंह, भजन सिंह निरंकारी, रामजी भारती, शिवराज सिंह उसारे, खेदूराम साहू, लेखराम साहू, संतोष बाफना, गुरु रूद्रकुमार, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री बोधराम कंवर, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, अग्नि चंद्राकर, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, अमरजीत भगत,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 5 (2) की अनुदान मांगें प्रस्तुत होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री फूलचंद सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री मदनलाल साहू, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष।

8. सदन को सूचना

चिकित्सकीय परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय एवं समिति कक्ष क्रमांक 3 में दिनांक 9, 10 एवं 11 मार्च, 2010 को चिकित्सकीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य उपस्थित रहेंगे। समस्त माननीय सदस्य उक्त विशेषज्ञों से परीक्षण का लाभ ले सकते हैं।

9. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्ययों से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, लेखराम साहू, **मांग संख्या-5 पर** श्री रविन्द्र चौबे एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं **मांग संख्या-17 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

सायं 7.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2010 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा